



# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स, भोपाल 462004

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य-पोषण/एन.एच.एम./2017/22608  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07/09/2017  
07.10.17

- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
- समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश
- विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, AIIMS भोपाल, म.प्र.।
- विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा/सागर तथा उज्जैन, म.प्र.

विषय :- वर्ष 2017-18 में पोषण-पुनर्वास केन्द्रों/एस.एम.टी.यू. के संचालन हेतु वित्तीय दिशा-निर्देश।

\*\*\*\*\*

विषयान्तर्गत लेख है कि, विभाग द्वारा गंभीर कुपोषित बच्चों के संस्थागत उपचार हेतु 315 पोषण पुनर्वास केन्द्र एवं 5 चिकित्सा महाविद्यालयीन एन.आर.सी./एस.एम.टी.यू. संचालित किये जा रहे हैं। प्रतिवर्ष इन केन्द्रों पर, लगभग 75 हजार से अधिक गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उपचारित किया जाता है। उपचार उपरांत, 15 दिवस के अन्तराल पर इन भर्ती बच्चों की चिकित्सकीय जांच हेतु, 4 बार अनुसरण किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में पोषण पुनर्वास केन्द्र एवं एस.एम.टी.यू. में गंभीर कुपोषित बच्चों के संस्थागत उपचार एवं अनुसरण हेतु वित्तीय दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :-

## वित्तीय प्रावधान :-

S.N	Particular	Unit cost (₹)	Total Cost (₹)
1	Incentive to AWW/ASHA/RBSK Dr./ Facility MO/ Any other Community Motivator	100	100
2	Food for Child	50/day Avg. est. for 14 days stay	700
3	Wage loss compensation for mother/caregiver of admitted child	120/day Avg. est. for 14 days stay	1680
Total			2480/-
S.N	Activity	Unit cost (₹)	Total Cost for 4 Visits (₹)
1.	Motivation cost for ASHA/AWW/Outreach ANM/RBSK MO/any other community motivator for tracking of discharged SAM with reinforced BCC	200	800
2.	IPC on maternal nutrition & child care practices for mothers/caregivers with dissemination of promotional IEC cum discharge cards (Inclusive of food for child ₹ 30 per visit + wage loss compensation for mother @ ₹ 120 per visit)	150	600
3.	IEC on promotion of food diversity through distribution of assorted Seed Packets of creeper vegetables	-	10
Total		350	1410

प्रत्येक पोषण पुनर्वास केन्द्र के सूचना पटल पर उपरोक्तानुसार संशोधित वित्तीय प्रावधान तालिका का प्रदर्शन किया जाये।

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, आउटरीच ए.एन.एम., आर.बी.एस.के. चिकित्सक, संस्था चिकित्सक अथवा किसी भी सामुदायिक प्रेरक द्वारा एन.आर.सी./एस.एम.टी.यू. में बच्चे को भर्ती कराने पर राशि ₹ 100/- प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।
- सामुदायिक प्रेरक से तात्पर्य-व्ही.एच.एस.एन.सी. समिति सदस्य, गैर शासकीय संस्था प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बच्चे के परिजन/अभिभावक स्वयं माँ अथवा समाज का अन्य कोई भी व्यक्ति से है।
- आर.बी.एस.के. चिकित्सक द्वारा चिन्हांकन उपरांत गंभीर कुपोषित बच्चे को एन.आर.सी. में स्वयं भर्ती कराने हेतु प्रोत्साहन राशि देय होगा। (राशि ₹ 50/- X 2 चिकित्सक अथवा राशि ₹ 100/- X 1 चिकित्सक)

- एक ही परिवार से एक से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण की मापदण्ड पूर्ति करने पर एन.आर.सी. में भर्ती हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि दोनों बच्चों की देखभाल माँ कर रही हो तो उसे केवल एक बच्चे के मान से मजदूरी क्षतिपूर्ति भत्ते की पात्रता होगी। यदि दोनों बच्चों के लिये पृथक-पृथक देखभालकर्ता हो तो दोनों को मजदूरी क्षतिपूर्ति भत्ते का लाभ दिया जाये।
- एन.आर.सी. के छुट्टी मापदण्ड में परिवर्तन किया गया है अतएव बच्चों की छुट्टी कुछ प्रकरणों में 14 दिन से पूर्व एवं जटिल प्रकरणों में 14 दिन के बाद भी की जा सकती है। उपरोक्त तालिका में दर्शाई वित्तीय आंकलन औसत 14 भर्ती दिवसों के मान से आंकलित की गई है।
- गंभीर कुपोषित बच्चे के परिवहन हेतु अब निःशुल्क परिवहन व्यवस्था जननी एक्सप्रेस/108 का उपयोग किया जाये। अब से बच्चे के परिवहन हेतु पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।
- बाल्यकालीन ओ.पी.डी., सामान्य ओ.पी.डी., शिशु वार्ड आदि से एन.आर.सी. में In-referral प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये। इस हेतु रेफर करने वाले चिकित्सक को राशि ₹ 100/- प्रति बच्चे के मान से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। चिकित्सक को बच्चे के साथ ओ.पी.डी. अथवा आंतरिक केस शीट के साथ अपना नाम, पदनाम, एकाउण्ट नम्बर व आई.एफ.एस.सी. कोड, बतौर रेफरिंग अधिकारी के रूप में एन.आर.सी. में प्रेषित करना होगा ताकि प्रोत्साहन राशि का ई-अंतरण किया जा सके।
- गंभीर कुपोषित बच्चों के प्रबंधन पर व्यय राशि की बुकिंग निम्नानुसार एफ.एम.आर. कोड अंतर्गत सुनिश्चित किया जाये:-

S.N	FMR code	Particular
1	A.2.5.7	Treatment cost of SAM children at facility
2	A.2.5.9	Treatment cost of SAM children at SMTU
3	A.2.5.8	Follow up cost of treated SAM children at NRCs
4	A.2.5.10	Follow up cost of treated SAM children at SMTUs

- एफ.एम.आई.एस. में व्यय की बुकिंग के समय अनिवार्यतः एन.आर.सी.एम.आई.एस. तथा मासिक रिपोर्ट में प्रतिवेदित भौतिक उपलब्धियों को एकरूप रखा जाये।

संलग्न : जिलेवार एन.आर.सी. फॉलोअप राशि आवंटन विवरण

मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा अनुमोदित

पृ.क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य-पोषण/एन.एच.एम./2017/22609  
प्रतिलिपि:- आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सह मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र.।
3. संचालक, एन.एच.एम., भोपाल, म.प्र.।
4. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
5. अस्पताल अधीक्षक, AIIMS, भोपाल, म.प्र.।
6. अस्पताल अधीक्षक, आर.डी.गार्डी मेडीकल कॉलेज, उज्जैन, म.प्र.।
7. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
8. पोषण अधिकारी, यूनीसेफ, भोपाल, म.प्र.।
9. राज्य वित्त प्रबंधक, एन.एच.एम. म.प्र.।
10. राज्य लेखा प्रबंधक, एन.एच.एम. म.प्र.।
11. समस्त जिला MO NRC, म.प्र.।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., म.प्र.।
13. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., म.प्र.।
14. समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश - निर्देश की प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों को उपलब्ध करायें।
15. समस्त विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, म.प्र.।
16. समस्त विकासखंड लेखा प्रबंधक, म.प्र.।

(श्री जितेंद्र सिंह)  
संचालक, वित्त

एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 07/09/2017

07.10.17

(श्री जितेंद्र सिंह)  
संचालक, वित्त  
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

S.N.	Districts/SMTUs	Follow-up cost of treated SAM children @ Rs. 1260/Child	
		Phy	Fin
1	Bhopal	679	8.6
2	Raisen	908	11.4
3	Vidisha	768	9.7
4	Sehore	1092	13.8
5	Rajgarh	906	11.4
6	H'bad	1059	13.3
7	Harda	612	7.7
8	Betul	1092	13.8
9	Indore	861	10.9
10	Dhar	2097	26.4
11	Jhabua	1248	15.7
12	Alirajpur	1070	13.5
13	Khargone	1716	21.6
14	Barwani	1147	14.4
15	Burhanpur	733	9.2
16	Khandwa	1716	21.6
17	Ujjain	1179	14.9
18	Dewas	870	11.0
19	Shajapur	312	3.9
20	Agar	421	5.3
21	Ratlam	1198	15.1
22	Neemuch	1059	13.3
23	Mandsaur	1111	14.0
24	Jabalpur	1630	20.5
25	Narsingpur	1037	13.1
26	Chhindwara	1451	18.3
27	Seoni	777	9.8
28	Mandla	683	8.6
29	Dindori	824	10.4
30	Balaghat	939	11.8
31	Katni	1248	15.7
32	Rewa	1253	15.8
33	Satna	1560	19.7
34	Sidhi	1136	14.3
35	Singrauli	655	8.3
36	Shahdol	885	11.1
37	Anuppur	587	7.4
38	Umaria	530	6.7
39	Sagar	1560	19.7
40	Damoh	1123	14.2
41	Chattarpur	1404	17.7
42	Tikamgarh	1048	13.2
43	Panna	1026	12.9
44	Gwalior	895	11.3
45	Datia	702	8.8
46	Morena	1081	13.6
47	Bhind	655	8.3
48	Sheopur	936	11.8
49	Ashok Nagar	972	12.2
50	Shivpuri	1872	23.6
51	Guna	1092	13.8
52	SMTU, AIIMS, Bhopal	260	3.3
53	SMTU, GRMC, Gwalior	260	3.3
54	SMTU, SSMC, Rewa	390	4.9
55	SMTU, RD Gardi, Ujjain	130	1.6
Total		54456	686.15